5

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर.

:: आदेश ::

क्रमांक / 3210 /त.शा./मु.अ./लो.स्वा.यां.वि./2001/ रायपुर, दिनांक 28/5/2001

विभाग में खनित किये जा रहे 75 मीटर से अधिक गहराई के नलकूपों के प्रकरण, कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संबंधित कार्यपालन यंत्रियों द्वारा समय-समय इस कार्यालय को प्रस्तुत किये जाते रहे हैं । शासन द्वारा दिनांक 18/04/2001 को दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करते हुए, विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को अब ये अधिकार प्रदत्त किये जाते है ।

भविष्य मे खनित किये जाने वाले अथवा खनित नलकूप (75 मीटर से अधिक गहरे) पर अंतिम निर्णय कार्यपालन यंत्री अपने स्तर पर लेवेंगे । चिन्हांकित क्षेत्रों मे जहाँ 90 मीटर से अधिक गहराई के नलकूप खनन् आवश्यक होंगे वहाँ खनन् के पूर्व स्थल की भौगोलिक, भू-गर्भीय संरचना एवं ग्राम मे पूर्व मे खनित नलकूपों की गहराई, अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए एवं भूजल विद् की परामर्श से कार्यवाही किया जाना चाहिये ।

यहाँ यह भी ध्यान रखा जाना होगा कि चिन्हांकित क्षेत्रों में नलकूप का प्राक्कलन बनाते समय संबंधित क्षेत्र में नलकूपों की औसत गहराई का ध्यान रखते हुए प्राक्कलन बनाया जावे एवं तदानुसार राशि मांगी जावे ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे ।

उपरोक्त निर्णय के संबंध में शासन द्वारा अनुमोदित पेरा की सत्यप्रति आपको मार्गदर्शन हेतु संलग्न है ।

28/5
मुख्य अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर.